भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4376

उत्तर देने की तारीख : 27.03.2025

एमएसएमई के समक्ष वित्तीय चुनौतियां

4376. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को किए जाने वाले भुगतान में विलंब से संबंधित समस्याओं से अवगत है, जो उनके नकदी प्रवाह और प्रचालनात्मक संवहनीयता को काफी प्रभावित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और ऐसे विलंब के लिए बड़ी फर्मों को जवाबदेह ठहराने के लिए विशिष्ट उपाय किए गए हैं/योजनाएं बनाई गई हैं;

(ग) क्या कोविड-19 के बाद एमएसएमई को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का आकलन किया गया है और इन उपायों से उनकी आवश्यकताओं और चुनौतियों का कितने प्रभावी ढंग से समाधान हुआ है;

(घ) एमएसएमई को वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव से उबरने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किन्हीं अतिरिक्त सहायता उपायों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने एमएसएमई के हितधारकों, उद्योग संघों और उद्यमियों से उनकी चिंताओं को समझने तथा सहायता तंत्र में सुधार लाने के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए समय पर भुगतान का निपटान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं और पहल भी की हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

i. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, **2006** के प्रावधानों के तहत, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के विलंबित भुगतान के मामलों से निपटने के लिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है। अब तक, 161 एमएसईएफसी स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में एक से अधिक एमएसईएफसी स्थापित किए गए हैं।

ii. एमएसएमई मंत्रालय ने वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से एमएसई को बकाया राशि की मॉनिटरिंग के लिए दिनांक 30.10.2017 को समाधान पोर्टल (http://samadhaan.msme.gov.in/MyMSME/MSEFC/MSEFCWelcomer.aspx.) शुरू किया।

iii. आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के बाद, एमएसएमई मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई को बकाया और मासिक भुगतान की रिपोर्टिंग के लिए दिनांक 14.06.2020 को समाधान पोर्टल के अंतर्गत एक विशेष उप-पोर्टल बनाया है।

iv. भारत सरकार ने दिनांक 07.11.2024 की अधिसूचना एस.ओ. 4845(ई) के माध्यम से सीपीएसई और 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) पर खुद को शामिल करने का निर्देश दिया है, जो कई वित्तपोषकों के माध्यम से एमएसएमई के व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है।

v. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 43बी (एच) में प्रावधान है कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 15 में निर्दिष्ट समय सीमा के बाद एमएसई को करदाता द्वारा देय कोई भी राशि, जो 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकती है, केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में दी जाएगी।

(ग) से (ङ) : भारत सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर अर्थव्यवस्था, विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत कई उपायों की घोषणा की है। इन उपायों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
ii. व्यवसाय की सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु "उद्यम पंजीकरण"।
iii. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन।
iv. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं होगी, इससे एमएसएमई को सहायता मिलेगी।
v. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) को लागू करना। यह स्कीम दिनांक 31.03.2023 तक कार्यशील थी।

ईसीएलजीएस पर भारतीय स्टेट बैंक की 23.01.2023 की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते बचाए गए, जिनमें से लगभग 93.8% खाते एमएसई के थे।

इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना एस.ओ. 4926 (ई) दिनांक 18.10.2022 में अधिसूचित किया है कि संयंत्र और मशीनरी या उपकरण या टर्नओवर या दोनों में निवेश के संदर्भ में वृद्धिपरक बदलाव और परिणामी पुनः वर्गीकरण के मामले में, एक उद्यम उस श्रेणी (सूक्ष्म या लघु या मध्यम) के सभी गैर-कर लाभों का लाभ इस तरह के परिवर्तन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए जारी रखेगा, जो कि पुनः वर्गीकरण से पूर्व थी।

एमएसएमई हितधारकों, उद्योग संघों और उद्यमियों के साथ उनकी चिंताओं को समझने और इनपुट मांगने के लिए परामर्श सरकार द्वारा की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समक्ष आने वाले मुद्दों और चुनौतियों को चिन्हित करने और उनका उचित समाधान करने में मदद करती है।

*****